

सीखने के लिए पठन कौशलों की अनिवार्यता

कुलदीप बैरोला*

पढ़ना सीखना विद्यालयी शिक्षा में आगे बढ़ने हेतु अत्यावश्यक है। हम चारों तरफ मुद्रित सामग्री से घिरे हैं तथा सीखने का मूल्यांकन भी लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है। अतः पढ़ना-लिखना सीखना औपचारिक शिक्षा पद्धति की अनिवार्यता है। पढ़ना सीखना विद्यालयी शिक्षा में आगे बढ़ने हेतु अनिवार्यता है, क्योंकि विद्यालयी परिवेश में मुद्रित सामग्री प्रमुख शिक्षण सामग्री होती है।

पढ़ना सीखने हेतु मुख्य अवयव हैं-शब्दों को पहचानना तथा समझ कर पढ़ना। समझकर तभी पढ़ा जा सकता है जब हम शब्दों के अर्थ समझते हों। शब्दों के अर्थ को समझना बच्चों को पढ़ने से पहले आता है जैसे-कोई बालक/बालिका प्रेम या इस तरह की मात्रा वाले शब्द को नहीं पढ़ सकता/सकती है पर वह इसका अर्थ जानते हैं इससे जब कभी यह शब्द उनके सामने आता है तो समझकर पढ़ना आसान हो जाता है तथा पढ़ने की गति भी बढ़ जाती है।

यह एक स्थापित तथ्य है कि पढ़ना सीखने पर लिखना और सरल हो जाता है। अतः पढ़ने के समुचित कौशल ही विद्यार्थियों की प्रगति के निर्धारक हैं।

अक्सर पाया जाता है कि कक्षा पाँचवीं तक के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं सकते। यह बात केवल हमारे देश पर लागू नहीं होती, वरन् अमेरिका जैसे विकसित देश भी बच्चों की पढ़ने की अक्षमता को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका में पठन कौशल में सुधार हेतु “नो चॉइल्ड लैफ्ट बीहाइंड लॉ 2002” के अनुसमर्थन में रीडिंग फर्स्ट कार्यक्रम लाया गया था, जिसमें वहाँ पर राज्यों को प्राथमिक कक्षाओं के पठन कौशल विकास पर वैज्ञानिक तरीके को अपनाने हेतु सहायता दी जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत पठन कौशल के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारित किए गए। यह मानक भी समान न होकर विभिन्न राज्यों हेतु भिन्न-भिन्न हैं। मौखिक रूप से धाराप्रवाह ढंग से पढ़ने की गति ग्रेड-1 में

* विभागाध्यक्ष, शोध मूल्यांकन, सीमैट, (उत्तराखंड), देहरादून

60 शब्द प्रति मिनट, ग्रेड-2 में 94 शब्द तथा ग्रेड-3 में 114 शब्द प्रति मिनट रखी गयी। इस तरह समझकर पढ़ने हेतु मानक निर्धारित किए गए।

(<http://www2.ed.gov/programs/readingfirst/profileca.pdf>)

विद्यार्थियों में समुचित स्तरानुसार पठन कौशल न पाया जाना हमारे देश में भी चिंता का विषय है। कक्षा पाँचवीं के 53.2 बच्चे दूसरी कक्षा के स्तर की सामग्री (text) नहीं पढ़ पाए। कक्षा तीसरी के 67.7 बच्चे कक्षा पहली के स्तर की सामग्री (text) नहीं पढ़ पाए। (ASER 2012 (Rural) Findings)

पठन कौशल के विकास में स्वयंसेवी संगठन भी योगदान कर रहे हैं, जिसमें रूम टू रीड संस्था विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने में सहयोग करती है। संस्था स्थानीयता आधारित पठन सामग्री विकसित करती है।

शोध अध्ययन बताते हैं कि सामान्यतः बीस से तीस प्रतिशत विद्यालयी वर्ग के बच्चों में समुचित स्तर की पठन दक्षता नहीं होती है। एन.सी.ई.आर.टी. के रीडिंग सैल गठन संबंधी अभिलेख में भी यह तथ्य स्वीकारा गया कि पठन कौशल को विद्यालयी प्रक्रियाओं में समुचित स्थान नहीं दिया गया है। पढ़ने की समस्या केवल सरकारी विद्यालयों की नहीं है, वरन् सभी प्रकार के विद्यालयों में है चाहे स्वनामधन्य निजी विद्यालय ही क्यों न हो, वास्तव में यह समस्या सार्वभौमिक है।

पढ़ने के कौशल का सीधा संबंध बच्चों की संप्राप्ति से होता है। बच्चा जब पढ़ना नहीं

जानता है तो उसमें लिखित सामग्री के प्रति अरुचि पैदा होती है। यह अरुचि पढ़ने के कौशल में और कमी करती है। परिणाम पढ़ाई में पिछड़ना, हीनता से ग्रसित होना और अंत में विद्यालय छोड़ देना है। यह एक अघोषित तथ्य है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय में ठीक से न कर पाने के कारण उपजी निराशा व हताशा के कारण विद्यालय छोड़ते हैं, यद्यपि इसके कारण कुछ और भी प्रतीत होते हैं जैसे-घर के कार्यों में सहयोग, जीविकोपार्जन इत्यादि। इसमें पढ़ने की अक्षमता भी एक मुख्य कारक है, जो लिखने की क्षमता को भी मंदित करती है तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करती है। अतः पढ़ने का कौशल एक आवश्यक शर्त है खासकर ऐसे परिवेश में जहाँ ज्ञान के मूल्यांकन का माध्यम लिखित परीक्षाएँ हैं।

समझा जा सकता है यदि विद्यार्थी में पढ़ने के समुचित कौशल नहीं है तो वह कैसे कोई गद्यांश पढ़ और लिख सकता है? कैसे वह विज्ञान में संधानन जैसी प्रक्रिया स्पष्ट कर सकता है? कैसे वह भूगोल के पाठों को समझ सकता है? और कैसे वह गणित के इबारती प्रश्न हल कर सकता है? कई बार बच्चे जोड़-घटाने, भाग की क्रियाएँ तो कर सकते हैं लेकिन इबारती प्रश्न पर अटक जाते हैं। इसका एक कारण समझकर पढ़ना न आना होता है, यह तथ्य गणित के साथ ही नहीं वरन् सभी विषयों के साथ लागू होता है।

अतः विद्यालयी प्रक्रियाओं में पढ़ने के कौशल को समुचित स्थान दिए जाने की

आवश्यकता है। इसके लिए समुचित कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है। जिसकी शुरुआत होती है पढ़ने की सामग्री रोचक बनाने एवं पाठ्यक्रम में पठन कौशल को समुचित स्थान दिए जाने से। विद्यार्थी को उनकी पढ़ने के कौशल में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए उनको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। पढ़ने के कौशल को एक विस्तारित प्रारूप में देखने की आवश्यकता है। यह केवल प्राथमिक स्तर (कक्षा पहली से पाँचवीं) का ही विषय नहीं है, वरन् इसे प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा पहली से आठवीं) में समग्रता के साथ पूरे चक्र में देखे जाने की आवश्यकता है और लगातार ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सामान्यतः मान लिया जाता है कि प्राथमिक स्तर कक्षा पाँच उत्तीर्ण करते ही बच्चों में पठन कौशल में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह समुचित स्तर की होती है। यह मिथक है क्योंकि विद्यालयों में इस कौशल के मापन के समुचित उपकरण अपनाए ही नहीं जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को सुधार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही यह भी चिंतनीय है कि हमारे देश में अध्यापक पठन कौशल के मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं। यह तथ्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में भी उल्लिखित है।

सेवा-पूर्व प्रशिक्षण शिक्षकों को पठन के शिक्षा-शास्त्र की तैयारी के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देता, न ही सेवा-काल प्रशिक्षण में ही इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है।

अतः प्रश्न उठता है कि पठन कौशल का विकास व संवर्धन कैसे किया जाए?

सामान्यतः विद्यालयों में अध्यापकों को बच्चे पुस्तक की कोई गद्यांश या पद्यांश पढ़कर सुनाते हैं, जिससे अध्यापक पठन कौशल का निर्णय कर देते हैं। यह बहुत ही सतही प्रक्रिया है व भ्रामक एवं अनुपयोगी है। पठन कौशल के सुधार कार्यक्रम हेतु विद्यालयों में स्थान ही नहीं दिया जाता है। इसे अभिलेखित करना भी आवश्यक है क्योंकि बच्चों के लिखित परीक्षाओं में दिए गए उत्तर इस बात के पर्याप्त संकेतक होते हैं कि उन्हें सीखा हुआ लिखने में परेशानियाँ हैं जो कि पढ़ने के समुचित कौशल होने के कारण उत्पन्न हुई होती हैं।

इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि बच्चा किसी कविता को सुन-सुन कर कंठस्थ कर लेता है, पढ़ने के लिए कहने पर पढ़ सकता है, लेकिन वास्तव में वह शब्द पढ़कर नहीं स्मृति से कविता दोहरा रहा हो सकता है। यही स्थिति रुक-रुक कर गद्य पढ़ते बच्चे में भी हो सकती है। वास्तव में पढ़ना समझकर पढ़ना है। इसलिए मापक भी ऐसे होने चाहिए कि समझकर पढ़ने के कौशल का मापन हो सके। वास्तविक प्रश्न पठन कौशल को सँवारने का है। यह कार्य केवल हिंदी या अँग्रेजी भाषा की पाठ्यक्रम की पुस्तकों से नहीं हो सकता है।

पढ़ने के कौशल से कई अन्य कौशल जुड़े हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने के कौशल को सँवारते हैं। विद्यालय में बच्चा एक अपनी भाषा के साथ आता है जिसमें वह

बात करता है, तर्क करता है, विचार करता है, समस्या प्रस्तुत करता है तथा समाधान प्राप्त करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में यह चिंता और भी स्पष्ट है- बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना सभी सामान्य कौशल हैं और उनमें बच्चों की दक्षता, स्कूल में उनकी सफलता को प्रभावित करती है, जबकि पठन को भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है, स्कूली पाठ्यक्रम सूचनाओं और रटंत पाठों से इतने भरे होते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने का आनंद कहीं दूर छूट ही जाता है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और शिक्षकों को इस संस्कृति का हिस्सा बनकर स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए। इसके लिए स्कूल और सामुदायिक स्तर पर पुस्तकालयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह मान्यता कि कथा-उपन्यास पढ़ना समय नष्ट करना है पठन को हतोत्साहित करने का बड़ा कारण है। पढ़ने के कौशल लिए रोचक व विविधतापूर्ण बाहुल्यता में उपलब्ध सामग्री की आवश्यकता है। पढ़ने के कौशल के विकास को तीन चरणों में देखा जा सकता है।

प्रथम चरण में उसकी बातचीत की भाषा के कौशल सुनने व बोलने के कौशलों को संवर्धित करना आवश्यक है। कक्षाओं में बातचीत, कहानी कहना, सुनना-सुनाना, सुनकर निष्कर्ष प्रस्तुत करना, चित्रों से कहानी कहना, कविता सुनना, लयात्मक कविता बनाना जैसे कार्यक्रम होने चाहिए। इन प्रक्रियाओं से बच्चों

की शब्दावली विस्तारित होती है। शब्दों पर चर्चा करना जैसे- आम पर, शहर पर, नदी पर, इत्यादि-इत्यादि। ध्वनियों से बच्चों का परिचय होता है। ध्वनियों का समझकर पढ़ने की क्षमता से गहरा संबंध है।

द्वितीय चरण में शब्द पहचान व अक्षर ज्ञान के बाद, वाक्य वाचन हो सकता है। इसमें लय व ध्वनि का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। इस चरण में भी प्रथम चरण की गतिविधियाँ जारी रखी जानी चाहिए। वाक्य एवं दृष्टांत ऐसे होने चाहिए, जो दैनिक जीवन से हों। ऐसे वाक्य अपनेपन व जुड़ाव का अहसास देते हैं। मानक भाषा और मानक शब्दों पर शुरुआती चरण में अत्यधिक जोर देना पठन दक्षता के विकास में बाधक हैं, तथापि बच्चे के शब्द भंडार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। लेकिन यह शब्द भंडार लिखाकर, रटाकर नहीं बरन् दैनिकचर्या का हिस्सा होना चाहिए। पढ़ते समय कोई भी पाठक यदि प्रचलित शब्दावली पाता है तो पढ़ने और समझने की गति बढ़ जाती है जो उसे लिखित सामग्री से जोड़कर रखती है।

पुस्तकों का चयन एक विशिष्ट क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही पठन दक्षता संवर्धन हेतु भाषा के पाठ्यक्रम की पुस्तकों से इतर कहानी, चित्रकथा, चित्रकहानी की पुस्तकें ली जाएँ। कहानियाँ लंबी नहीं होनी चाहिए। इन कहानियों के पात्रों पर चर्चा की जाए। बच्चों को अपनी कहानी या किस्सा लिखने और कहने हेतु अवसर दिए जाएँ।

बच्चों से लिखने या चर्चा करने के लिए विषय उन्हीं से लिए जाएँ यथा- बच्चों को कौन सा खेल, खिलाड़ी या फिल्म पसंद है। बच्चों ने जो फिल्म देखी, उसकी कहानी लिखवाई जा सकती है, बच्चों को विद्यालय में रोचक बाल फिल्म दिखाकर उसका सारांश लिखवाया जा सकता है। बच्चे कार्टून भी पसंद करते हैं। उन्हें कार्टून फिल्म दिखाकर या उनकी देखी कार्टून फिल्म पर चर्चा कर लेखन का आयोजन किया जा सकता है।

विभिन्न विषयों की पुस्तकें चुनते समय उनमें भाषा की सरलता, सहजता पर खास ध्यान दिया जाए। यदि पुस्तक में सामग्री की भाषा कठिन है तो उसे अध्यापक वैकल्पिक रूप से सरल भाषा में लिखवाएँ या ऐसे पाठों को चाहे विषय कोई भी हो को छोड़ने या किसी अन्य पुस्तक से लिया जाए, अभ्यास हेतु पुस्तक के स्थान पर एक पृष्ठ की कहानी या कोई घटना दी जा सकती है। यह छूट अध्यापकों को दी जानी आवश्यक है।

केवल भाषा ही नहीं, अन्य विषयों के माध्यम से भी पठन कौशल के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्लेषण करने, गद्यांशों का सारांश लिखने, उन पर चर्चा करने जैसी गतिविधियाँ की जानी चाहिए। इतिहास में केवल वह तिथियाँ दी जाएँ, जो अति महत्वपूर्ण हों वरना इतिहास में घटनाएँ कम व तिथियाँ अधिक होने से प्रारंभिक कक्षा के बच्चों में पढ़ने में अरुचि पैदा हो सकती है। लियो नार्डो डा विन्सी ने कहा था- बिना इच्छा के अध्ययन करना याददाश्त खराब करता है

और कुछ भी ग्रहण नहीं होता है। यह कथन मार्गदर्शक है।

इस प्रकार सभी विषय की पुस्तकों की भाषा एवं सामग्री का प्रस्तुतीकरण अत्यंत महत्व रखता है क्योंकि यह एक भ्रांति है कि पठन कौशल का विकास केवल भाषा की पुस्तकों से या भाषा के अध्यापकों के द्वारा ही किया जाता है।

तृतीय चरण में कक्षा पाँचवीं से आठवीं में पठन कौशल के विकास हेतु वैज्ञानिक आलेख, लंबी कहानी, छोटे रोचक बाल उपन्यास रखे जा सकते हैं। छात्र सेमिनार, तीव्र गति पठन, सामग्री विश्लेषण कर आलेख विकास, पठित सामग्री पर चर्चा इत्यादि कार्यक्रम कराए जा सकते हैं। टेलीविजन से समाचार संकलन, द्विभाषी फिल्म जिसमें वह फिल्म बच्चे को ज्ञात भाषा से अलग भाषा के उपशीर्षक प्रस्तुत करती फिल्म इत्यादि कार्यक्रम किये जा सकते हैं। पठन कौशल के कार्यक्रमों व परीक्षण का उद्देश्य उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना नहीं वरन् बच्चों की पठन दक्षता के स्तर की पहचान व संवर्द्धन होना चाहिए। विद्यार्थी को पढ़ने की सामग्री चुनने की छूट दी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में पठन कौशल विकास का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए। पठन कौशल के विकास में अभिभावकों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभिभावक अपने बच्चों को बुक स्टॉल, पुस्तकालय, इत्यादि में ले जाकर उन्हें अपनी पसंद की पठनीय पुस्तकों के चयन हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं।

बाज़ार में कई बाल पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं।

इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विविधता का अनुभव कराने हेतु बच्चों के द्वारा इन पुस्तकों या इस प्रकार की पुस्तकों की कहानियों के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसी पुस्तकें बच्चों को कदापि पढ़ने के लिए नहीं दी जानी चाहिए, जिन्हें पढ़ने में उनकी रुचि न हो। पुस्तकों के चयन में अध्यापक, उस कक्षा को उत्तीर्ण कर चुके छात्र व जागरूक अभिभावक से पुस्तकों पर राय ली जानी चाहिए कि कौन-सी पुस्तक सर्वाधिक पसंद की गयी। विद्यार्थियों से पूछा जाना चाहिए कि कौन-सी पुस्तकें और पाठ उन्हें रुचिकर या अरुचिकर लगे।

पठन सामग्री को श्रेणीकृत किया जाना चाहिए कि पठन सामग्री किस क्रम में दी जाए। एन.सी.ई.आर.टी. ने क्रमबद्ध पुस्तक माला (graded reading series) विकसित की है। इन पुस्तकों को केवल सरकारी विद्यालयों में ही नहीं वरन् सभी तरह के विद्यालयों में उपलब्ध होना चाहिए। प्रथम संस्था द्वारा रीड इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत 11 भाषाओं में स्टोरी बुक कार्ड जैसी पठन सामग्री उपलब्ध है। रूम टू रीड द्वारा भी श्रेणीकृत पठन सामग्री तैयार की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005

भी पठन कौशलों के विकास पर जोर देती है और इस हेतु विद्यालय में पठन सामग्री की बहुलता पर बल देती है।

यदि बच्चों में उनके स्तर के अनुकूल पठन कौशल विकसित हो जाते हैं, तो उनकी विभिन्न विषयों को समझने, तथ्यों को विश्लेषण करने, सार ग्रहण करने, सारांश लिखने, संश्लेषण व विश्लेषण करने की क्षमताएँ भी उचित स्तर की होती हैं जो उनकी उपलब्धि को बढ़ाती हैं। विभिन्न देशों में किए गए शोध अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। पाठ्यक्रम समाप्ति के स्थान पर लक्ष्य दक्षता प्राप्ति होना आवश्यक है और पठन कौशल भी सम्प्राप्ति के मूल्यांकन का भाग होना चाहिए, यह अभिलेखित भी होने चाहिए।

आवश्यक है कि पढ़ने के कौशल के मूल्यांकन हेतु संकेतक बनाए जाएँ व इन्हें विद्यालय में विद्यार्थी के मूल्यांकन का एक पक्ष बनाया जाए।

विद्यालयों में पढ़ने के कौशल विकास को एक आंदोलन के रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इसे सेवापूर्व व सेवारत प्रशिक्षण का अंग बनाया जाना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षण सामग्री को समग्रता से विकसित करने की भी आवश्यकता है।

